	0151-2250006
	REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD Plot No. SPL-33, Phase-2nd, Bhicchwal Industrial Area, Bikaner – 334001 Email: ro-bikaner@gmail.com www.rpcb.rajasthan.gov.in
RPCB/RO BIKANER/BM-270/ 1300	DATE : 31/10/2023

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Sub: - Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of Mining Project of M/s Jai Chand Lal Daga (M.L. No 05/2003) having Lease Area – 98.0540 Ha (Cluster Area – 120.984 Ha.) & Production Capacity – Expanded from 50000 TPA to 217250 TPA (ROM) (Ball Clay, Fire Clay, Red & Yellow Ochre Mining), Near Village- Gudha, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.

Ref.: - Public Hearing conducted on dated 29.09.2023

Sir,


Apropos above, it is informed that the public hearing in the matter of Environment Clearance for the Mining Project of M/s Jai Chand Lal Daga (M.L. No 05/2003) having Lease Area – 98.0540 Ha (Cluster Area – 120.984 Ha.) & Production Capacity – Expanded from 50000 TPA to 217250 TPA (ROM) (Ball Clay, Fire Clay, Red & Yellow Ochre Mining), Near Village- Gudha, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner was conducted on 29.09.2023 at Gram Panchayat Bhawan Gudha, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.

The minutes of the public hearing along with Attendance sheet, Objection letter, CD of videography of Proceedings and photographs are being forwarded in original for examination and further necessary action at the level of State level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) under EIA notification, 2006.

Enclosed: -

- (i) One set of minutes of the Public Hearing
- (ii) One set o Attendance Sheet
- (iii) Copy of Objection letter *CI No. 3*
- (iv) One set of Videography of the proceedings (1 CD)
- (v) One set of Photographs

Yours Sincerely


(Pradeep Kumar Asnani)
Regional Officer
RSPCB, Bikaner

Copy to following for information & necessary action: -

1. Member Secretary/Group Incharge (Mines), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. Additional District Magistrate (Adm.), Bikaner
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceedings of public hearing on Board's website.
4. M/s Jai Chand Lal Daga, Labhuji ka Katla, Bikaner


Regional Officer

जन-सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स जयचन्द लाल डागा, (खसरा नम्बर 249, 77/2.77/1, 76, 74, 75, 247 एवं 82), एम.एल. नम्बर 05/2003, क्षेत्रफल 98.0540 हैक्टेयर, निकट ग्राम-गुढा, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना { मैसर्स जयचन्द लाल डागा, (खसरा नम्बर 249, 77/2.77/1, 76, 74, 75, 247 एवं 82), एम.एल. नम्बर 05/2003, क्षेत्रफल 98.0540 हैक्टेयर; मैसर्स जय सिंह सारण, एम.एल. नम्बर 573/07, क्षेत्रफल 4.94 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 135937.50 टी.पी.ए.; मैसर्स बनारसी दास अग्रवाल, एम.एल. नम्बर 338/08, क्षेत्रफल 17.99 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100058 टी.पी.ए.} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 120.984 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-453245.50 टी.पी.ए., में स्थित है, में बॉल क्ले, फायर क्ले, रेड एवं येलो ऑकर माईन्स की उत्पादन क्षमता 50000 टी.पी.ए. से बढ़ा कर 217250 टी.पी.ए.(रोम) (क्ले एवं रेड ऑकर -135450 टी.पी.ए., ऑवर बर्डन 66750 टी.पी.ए. एवं मिनरल रिजेक्ट 15050 टी.पी.ए.) करने के लिए उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 29.09.2023 को ग्राम पंचायत भवन-गुढा, तहसील-कोलायत जिला-बीकानेर (राजस्थान) में प्रातः 11.00 बजे से जिला कलेक्टर, बीकानेर के प्रतिनिधि श्री प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 27.08.2023 को समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता / प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं बताया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सभी आमजन से खनन परियोजना से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनने एवं समझने हेतु निवेदन किया गया तथा पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाने हेतु भी निवेदन किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स जयचन्द लाल डागा, माईन्स के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स "फुलग्रो एन्वायरमेन्टल एण्ड इंजिनियरिंग सर्विसेज इण्डिया प्रा. लि." को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया गया कि खनन ईकाई का एम.एल. नम्बर 05/2003, कुल खनन क्षेत्रफल 98.0540 हैक्टेयर, खनिज- बॉल क्ले, फायर क्ले, रेड एवं येलो ऑकर एवं उत्पादन क्षमता 217250 टी.पी.ए. (रोम) है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, क्लस्टर परियोजना का क्षेत्रफल मय

नक्शा, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रदीप कुमार आसनानी ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपना आक्षेप एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री रामदयाल मेघवाल, निवासी ग्राम गुढा ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि एक भी खनन ईकाई द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। खनन ईकाई के ट्रकों द्वारा गाँव की सड़कों को क्षतिग्रस्त किया जाता है तथा काफी मात्रा में धूल उड़ाई जाती है जिससे स्कूल के बच्चे प्रभावित होते हैं, कई बार छोटे मोटे हादसे भी होते हैं। खनन ईकाई के ट्रक गाँव में प्रवेश नहीं करें इस हेतु गाँव के बाहर से रास्ता होना चाहिये। खनन ईकाई में पौधारोपण नहीं किया जाता है। माईन्स एसोसिएशन के वैलफेयर का पैसा शिक्षा में लगना चाहिये। खनन पट्टा धारक द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गाँव के प्रत्येक विद्यालय में कम्प्यूटर व कम्प्यूटर टेबल लगाया जाना चाहिये। श्री मेघवाल द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि खनन ईकाई के आस-पास के खेतों की लीज बिना किसान की सहमति के आवंटित नहीं की जानी चाहिये। खनन धारक द्वारा खनन कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। खनन धारक द्वारा गाँव में मुख्य चौराहे पर आर.ओ. प्लांट सहित प्याऊ का निर्माण करवा कर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करवायी जानी चाहिये। क्षेत्रीय अधिकारी ने खनन ईकाई मालिक श्री जयचन्द लाल डागा जी से इस सम्बन्ध में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिये कहा गया।


खनन ईकाई मालिक श्री जयचन्द लाल डागा जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर व टेबल विद्यालयों में शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिये जायेंगे। श्री जयचन्द लाल डागा द्वारा यह भी बताया गया कि उनकी खनन ईकाई में निरन्तर पानी का छिड़काव कर धूल दमन हेतु पूरे प्रयास किये जाते हैं। खनन ईकाई द्वारा काफी पेड़ लगाये गये हैं एवं आगे भी अधिकाधिक पौधारोपण किया जायेगा। गाँव के मुख्य चौराहे पर प्याऊ बनवा कर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जायेगी।


श्री हरि भूतडा ने आक्षेप लगाते हुए कहा कि जन सुनवाई के दौरान खनन पट्टा धारकों द्वारा सभी नियमों की पालना करने एवं गाँव का विकास करने का आश्वासन दिया जाता है परन्तु खनन शुरू होने के उपरान्त नियमों की पालना नहीं की जाती है जिसके प्रत्युत्तर में श्री जयचन्द लाल डागा द्वारा सभी नियमों एवं शर्तों की पालना करने का आश्वासन दिया गया।

जनसुनवाई के दौरान स्थानीय लोगो द्वारा खनन इकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का विरोध किया गया एवं एक आक्षेप क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को लिखित में प्राप्त हुआ जो कि परिशिष्ट-‘स’ पर संलग्न है।

→

अन्त में श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने हेतु आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।


(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर


(प्रतिभा देवठिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
कार्यालय, जिला कलक्टर, बीकानेर